50

पत्रांक–2 / कोर्ट–72 / 2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2026

विषय : डा० अनिल कुमार त्रिपाठी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पी०पी० प्रोग्राम, सदर अस्पताल, सिवान का 90% पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–833(9) दिनांक–11.09.2024 द्वारा डा० अनिल कुमार त्रिपाठी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पी०पी० प्रोग्राम, सदर अस्पताल, सिवान के विरुद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि (31.07.2021) से 10% पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं अनुपस्थित अवधि (दिनांक–25.04.2001 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2021 तक) के लिए कार्य नहीं तो वेतन नहीं के साथ किसी भी प्रयोजन हेतु अनुपस्थित अवधि की गणना नहीं करने की विनिश्चित संसूचित किया गया है।

(2) उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में डा० त्रिपाठी को 90% पेंशन एवं पूर्ण उपदान की स्वीकृति दी जाती है।

(3) उक्त आदेश इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी ।

(4) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न हैं :–

(i) पेंशन प्रपत्र दो प्रति में
(ii) संयुक्त फोटो
(iii) हस्ताक्षर का नमूना
(iv) पारिवारिक सदस्यों की सूची

(5) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

(6) उल्लेखनीय है कि उक्त मामला डा० त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी०संख्या–15460/2025 से अच्छादित है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन,
ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक–2/कोर्ट–72/2025– 74(2) **पटना, दिनांक** 15/01/**2026**

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही डा० अनिल कुमार त्रिपाठी का दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण–पत्र सीधे महालेखकार, बिहार को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि डा० अनिल कुमार त्रिपाठी का विभागीय बाकी/बेबाकी प्रमाण–पत्र एवं आवास बकाया रहित प्रमाण–पत्र सीधे महालेखकार, बिहार को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, छपरा, सारण/डा० अनिल कुमार त्रिपाठी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, मोहल्ला–छत्रधारी बाजार, जेल से दक्षिण, डाकघर+थाना– भगवान बाजार, जिला–छपरा (सारण), पिन–841301/प्रशाखा पदाधिकारी–03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/1/26

सरकार के उप सचिव

D>Sec-2>2026>PEN 2026